कारखानों में रात की पाली में भी काम कर सकेंगी महिलाएं

संशोधित अधिनियम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद प्रदेश में लागू...सभी कर्मकारों के लिए रोजाना 12 घंटे काम करने पर सप्ताह में 3 दिन छुट्टी का भी प्रावधान

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में अब महिलाओं को कारखानों में रात की पाली में भी काम करने की अनुमति मिलेगी, बशर्ते वे अपनी लिखित सहमति दें और कारखाने में महिलाओं की सुरक्षा व स्वास्थ्य संबंधी शर्तों का पालन किया जाए। इससे संबंधित कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है। इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 वर्ष 2025 के रूप में लागू किया गया है। संशोधित अधिनियम तीन अक्तूबर 2025 से लागू हो गया है।

राज्य की औद्योगिक गतिविधियों व उत्पादन क्षमता बढ़ाने और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से तैयार इस अधिनियम के तहत यह अधिकार मिलेगा कि काम के घंटे अधिकतम 12 घंटे प्रतिदिन तक निर्धारित किए जा सकें, बशर्ते साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे से अधिक न हो।

अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी कर्मकार की लिखित सहमति हो तो उसे बिना अंतराल के छह घंटे तक काम करने की अनुमति दी जा सकेगी। इसके अलावा कारखानों में काम के असाधारण दबाव की स्थिति में तिमाही आधार पर अतिरिक्त काम की सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे तक की जा सकेगी।

शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से कराया काम तो देनी होंगी सुविधाएं

- सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी।
- महिलाओं को आने-जाने के लिए सुरक्षित परिवहन की सुविधा।
- महिला सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर की तैनाती।
- कार्यस्थल पर शौचालय, विश्राम स्थल और पेयजल की सुविधा।

निर्धारित समयसीमा से ज्यादा काम तो दोगुना ओवरटाइम

इस अधिनियम के तहत यदि कोई कर्मकार प्रतिदिन निर्धारित सीमा से अधिक काम करता है तो उसे साधारण मजदूरी की दोगुनी दर से ओवरटाइम भुगतान प्राप्त होगा।

यह संशोधन उत्तर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अधिक सक्षम बनाएगा और राज्य को दस खरब डालर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में तेज रफ्तार देगा।

-अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव (विधाई)